

एक नजर में

हनुमान डोल मंदिर परिसर में 21 पौधे लगाए गए

बैतूल। हनुमान डोल स्थित प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर परिसर में मंदिर समिति द्वारा 21 पौधों का रोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाई गई है। जिन पौधों का रोपण किया गया उसमें चीकू, नाम, अनार, जामुन, आवला, नीम आदि प्रजाति के पौधे शामिल हैं। मंदिर के पंडित विजेंद्र द्विवेदी के मनोरोपचार के साथ हुआ पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मंदिर समिति के पदाधिकारी धर्मेन्द्र गोठी, अनिल दीक्षित, शैलेश गुबरेले के अलावा मनोज गौतम, पंडित विजेंद्र द्विवेदी, गोतू यादव,हरीश सोनकपुरिया, भीम यादव, लकी मिश्रा, शंकर चवरीया, मकडू, ललित (भयू) यादव एवं पंडरी बारस्कर भी उपस्थित थे।

चित्रकला के जरिए दी डिजिटल सुरक्षा की सीख
बैतूल। साइबर सुरक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित सेफ विलक-2.0 अभियान के समापन समारोह में श्री विनायकम स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता, जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया।

हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास

बैतूल। महदायग हत्याकांड में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) ने चार साल बाद फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रईस खान ने चिकू उर्फ प्रियेश चौबे, माया चौबे और रितेश सोनार को हत्या, हत्या के प्रयास और घर में घुसकर हमला करने का दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर दो-दो हजार रूपए का अशर्त भी लगाया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास, धारा 307/34 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 450 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन के अनुसार, रात 14-15 मार्च 2022 की रात की है। फरियादी मीनाक्षी उडके का परिवार रात में भोजन के बाद सो गया था। इसी दौरान आरोपी चिकू उर्फ प्रियेश चौबे ने अपने साथी राहुल के माध्यम से मीनाक्षी को फोन कराया और एक युवती का मोबाइल नंबर मांगा। मीनाक्षी के इनकार करने पर आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। रात करीब एक बजे चिकू अपने साथियों के साथ मीनाक्षी के घर पहुंचा। आरोपियों ने पहले खिड़की पर पत्थर मारकर परिवार को जगाया और फिर घर में घुसकर हमला कर दिया। माया चौबे ने लोकेश का कॉलर पकड़ लिया, जबकि रितेश सोनार ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में छोटू उर्फ सरयाम के गले पर चाकू लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि लोकेश और सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की तथा न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। गवाहों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

परेशानी लोहिया वार्ड, ओझा ढाना की बदहाली पर कब जायेगा प्रशासन

92 प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चों की राह में कीचड़ का पहाड़

बैतूल। शहर का लोहिया वार्ड ओझा ढाना क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बरसात ने यहां की बदहाल सड़कों, और गंदगी की ऐसी तस्वीर सामने ला दी है, जिसे देखकर विकास के सभी दावे खोखले नजर आते हैं।

वार्ड के सदस्य मनोहर धुवें और करण धुवें ने इस गंभीर समस्या को उठाते हुए शासन-प्रशासन से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की है। इस क्षेत्र में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आवागमन बेहद कठिन हो गया है। सबसे अधिक परेशानी उन स्कूली विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोज इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। छोटे-छोटे



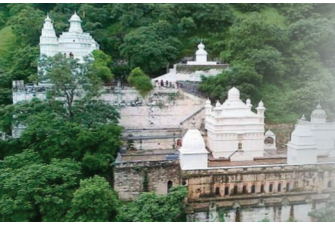
बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से जाने के लिए मजबूर हैं। कई स्थानों पर सड़क वर्षों तरह गंदे पानी में डूबी हुई है, जबकि रास्ते के किनारे कचरे के ढेर लगे हैं। ऐसे हालात दुर्घटना का खतरा बढ़ा रहे हैं, संक्रामक बीमारियों का आशंका भी पैदा कर रहे हैं। विडंबना यह है

कि इसी वार्ड के विद्यार्थियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा को अपना भविष्य मानते हुए वर्ष 2026 की एमपी बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत में से 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इन मेधावी विद्यार्थियों की मेहनत और सफलता इस बात का प्रमाण है कि

कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे वार्डवासियों में गहरा आक्रोश है। वार्ड के लोगों ने मांग की है कि ओझा ढाना की सड़क, नाली और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं

का तत्काल निराकरण कराया जाए। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वार्डवासियों को मजबूर होकर जनआंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

लोहिया वार्ड, ओझा ढाना की यह तस्वीर एक वार्ड की बदहाली नहीं, उन विकास दावों पर भी बड़ा सवाल है जिनमें हर घर तक सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस इनको केवल बरसाती समस्या मानकर नजरअंदाज करता है या फिर मेधावी बच्चों और वार्डवासियों की पीड़ा को समझते हुए तत्काल कार्रवाई कर उन्हें इस बदहाली से राहत दिलाता है।



907 आवेदन लंबित, सत्यापन और ई-केवाईसी को बताया वजह



क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन आवेदन लंबित रहने से इसका सबसे अधिक नुकसान उन्हीं परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। प्रसूति सहायता, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का लाभ आवेदन

अधिकार मिल सके।

संबल योजना व कितनी राशि देती है सरकार : जानकार बताते हैं कि संबल योजना के तहत मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मौत पर 2 लाख, स्थाई अपंगता पर 2 लाख, आंशिक अपंगता पर एक लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है। इसके साथ ही गर्भवती के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक जांच कराने और सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर सहायता राशि मिलती है। रोजगार के लिए पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खुद के व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण भी दिया जाता है। मजदूर और उसके परिवार के सदस्य गंभीर बीमारियों में 2 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। बता दे कि असंगठित क्षेत्र के

श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना शुरू की थी। इस योजना ने जन्म से लेकर मृत्यु तक और रोजगार से लेकर विवाह तक श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें पात्रता रखने वाले परिजनों को निर्धारित सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका संबल में पंजीयन और सत्यापन किया गया हो।

जनपद स्तर के आवेदन सबसे ज्यादा पेंडेंसी

जिले में नगरीय निकायों की अपेक्षा जनपद स्तर पर आवेदनों की पेंडेंसी अधिक है। जिले के जनपदों में करीब 823 आवेदन लंबित है, वहीं निकायों की स्थिति काफी बेहतर है। निकायों में योजनों के मात्र 84 आवेदन लंबित है। जनपद स्तर पर सबसे अधिक पेंडेंसी बैतूल और भैंसदेही जनपद में दर्ज की गई है। बैतूल जनपद में 145 तथा भैंसदेही में 121 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा चिचोली में 97, आमला में 89, भीमपुर में 82, प्रभातपट्टन में 79 . शाहपुर में 75, घोड़ाडोंगरी में 71 . मुलताई में 41 और आठनेर में 23 आवेदन स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। नगरीय निकायों में भी आवेदन लंबित हैं। बैतूल नगरपालिका में 19, शाहपुर में 22, घोड़ाडोंगरी में 15 . मुलताई में 11 . बैतूल बाजार में 6, सारनी और भैंसदेही में 5-5 तथा चिचोली में एक आवेदन लंबित बताया गया है।

सूर्य पुत्री मां तासी तीर्थ क्षेत्र न्यास की हुई बैठक

मुलताई। सूर्य पुत्री मां तासी की उदयम स्थली सहित आसपास के ग्रामों में आषा? मास की शुक्ल सप्तमी पर मां तासी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष 20 जुलाई को मां तासी जन्मोत्सव मनाया जाएगा इस अवसर पर सूर्य पुत्री मां तासी तीर्थ क्षेत्र न्यास प्रति वर्षानुसार सौ से अधिक ग्रामों में सप्त-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। न्यास के सदस्य डॉ राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजन को लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई जिसमे निर्णय लिया गया कि श्री क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा 125ग्रामों में निकाली



जाएगी। रथ यात्रा 10 जुलाई को थाना साईंखेड़ा क्षेत्र से निकलेगी, जिसका 13 जुलाई तक जोलखेड़ा में समापन होगा। 14 जुलाई एक सैकड़ा ग्रामों के मंदिर में मां तासी जल कलश पुजन स्थापना 15 जुलाई को सभी ग्रामों में स्वच्छता कार्यक्रम, 16 जुलाई को नगर सहित

ग्रामों में गौ पूजन एवं गौ रक्षक का संकल्प एवं संगोष्ठी, 17 जुलाई को ग्रामीण के तासी उपवन में पौधारोपण, 18 जुलाई को खिचड़ी संग्रह और समरस्ता यत्र, 19 जुलाई को तासी तट पर मां तासी बनो प्रतियोगिता एवं पूर्व संस्था पर महा आरती होगी।

बगडोना में बिना स्वीकृतियों के चल रहे निर्माण कार्य

पाथारखेड़ा। बगडोना क्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर मकानों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। क्षेत्र में चल रहे इन निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय स्तर पर कई प्रकार के चर्चाएं और सवाल उठते लगे हैं। आरोप है कि अनेक निर्माण कार्य बिना आवश्यक स्वीकृतियों एवं निर्धारित दस्तावेजों के ही संचालित किए जा रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग इस ओर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि नगर पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए निर्धारित मानकों, नक्शा स्वीकृति, भवन अनुमति तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया जाना अनिवार्य है, इसके बावजूद कई स्थानों पर निर्माण कार्य बिना वैधानिक प्रक्रियाओं के आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग की जा रही रेत, गिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री के संबंध में भी रॉयल्टी एवं वैध दस्तावेजों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो इससे शासन को राजस्व हानि होने के साथ-साथ निर्माण संबंधी नियमों की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। चर्चा है कि संबंधित अधिकारियों की अनदेखी अथवा कथित मिलीभगत के कारण नियमों की अवहेलना करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।



मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे संबंधित वार्ड पार्षदों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वार्ड क्रमांक 3 और 4 में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बरसात के दिनों में सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं। जलभराव के कारण

राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। वहीं वार्ड क्रमांक 10 में सड़क के बीचों-बीच बना बड़ा गड्ढा लोगों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। नागरिकों ने इसे तत्काल भरने और सड़क को मरम्मत कराने की मांग की है।

अनदेखी : परमिट एक बस का, सड़क पर दौड़ रही दूसरी बस !

बैतूल। जिले में बस संचालन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कई बड़े बसेस ऑपरेटर, जिनके पास 10 से 20 या उससे अधिक बसें हैं, नियमों को दरकिनार कर एक बस के नाम पर जारी परमिट से दूसरी बसों का संचालन कर रहे हैं। इससे न केवल परिवहन नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, बल्कि ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले छोटे बस संचालकों के साथ भी अन्याय हो रहा है। जानकारी के अनुसार, बड़े बस संचालक अपनी सुविधा के अनुसार एक ही रूट पर सड़क में कई बार बसें बदल देते हैं। जिस बस के लिए परमिट स्वीकृत



होता है, उसकी जगह दूसरी बस भेज दी जाती है। सवाल यह है कि यदि ऐसा लगातार हो रहा है तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ती? छोटे बस संचालकों का आरोप है कि विभागोंय कार्रवाई केवल एक-दो बसों वाले

उपयोग किया जा रहा है, तो यह गंभीर अनियमितता है और इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। जिला परिवहन अधिकारी और यातायात विभाग को सभी बसों के परमिट, वाहन नंबर और वास्तविक संचालन का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन करना चाहिए। यदि अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

इनका कहना है
ऐसा कोई मामला संज्ञान मे आता है तो निश्चित ही व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
गजेंद्र केन, यातायात प्रभारी बैतूल

पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली से कराया अवगत

बैतूल। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत के द्वारा **बुधवार भारतीय डाकघर, शाखा बैतूल में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डाकघरों की विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना था। इस अवसर पर प्रभारी पोस्ट मास्टर डॉ. हेमराज धोटे ने पांच स्वयंसेवकों को पोस्ट ऑफिस की दैनिक कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बचत योजनाएं, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ईडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आधार-लिक, डाक बीमा, पार्सल एवं स्पीड पोस्ट सेवाओं के साथ डिजिटल भुगतान और ग्रामीण



डाक जीवन बीमा की जानकारी विस्तार से दी गई। डॉ. धोटे ने बताया कि आज डाकघर केवल पत्र-व्यवहार का केंद्र ही नहीं, बल्कि वित्तीय और सरकारी योजनाओं का प्रमुख माध्यम बन चुका है। प्रशिक्षण में आकांक्षा पांडे और अविनाश घोटे ने समन्वय किया। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी श्रीमती सुषमा गवली विशेष रूप से

उपस्थित रही। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वयंसेवकों में गौरी इवने, निफिता उडके, नम्रता परते, आरती इवने संजना धुवें, रोशनी, आर्य, शिवसागर सिंघोदिया और अंकित गावड़े शामिल थे। कार्यक्रम का प्रमुख संचालन धनंजय सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनुभूति कार्यक्रमों से युवा सरकारी तंत्र को समझ कर समाज को जागरूक करना है।